UPMI020168562022

न्यायालय अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट नं0–4, मीरजापुर।

लक्ष्मण कुमार गुप्ता बनाम भरत लाल गुप्ता वगै0।
परिवाद सं0–16/2019
अ0धारा–323,504,506 व 452 भा0दं0सं0
थाना कोतवाली कटरा, जनपद मीरजापुर

दिनांक–04.02.2023

पत्रावली पेश हुयी। परिवादी किशोर सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा–257 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र पर सुना।

परिवादी मय अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में वादी है। प्रार्थी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक परिवाद दाखिल किया था। प्रार्थी रोजमरी कमाने खाने वाला व्यक्ति है इसलिये अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है। ऐसी सूरत में परिवादी के उपरोक्त मुकदमा वापस कराना चाहता है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादी द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था जो न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर दिनांक–24.08.2019 को अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 व 452 भा0द0सं0 में अभियुक्तगण भरतलाल, रेखा गुप्ता, त्रिजुकीनाथ व कन्हैया को तलब किया गया था। परिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित–17.12.2021 से न्यायालय को यह अवगत कराया गया है कि परिवादी रोजमरी कमाने खाने वाला व्यक्ति है इसलिये अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है। वह अब मुकदमा नही लड़ना चाहता है। पत्रावती 244दं0प्र0सं0 के स्तर पर लम्बित है। पत्रावली में आरोप विरचित नहीं किया गया है। अतः धारा–257 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी का वाद वापस किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थना पत्र दिनांकित–17.12.2021 स्वीकृत किया जाता है। परिवादी का वाद अन्तर्गत धारा–257 द0प्र0सं0 वापस लिया जाता है। अभियुक्तगण **भरतलाल, रेखा गुप्ता, त्रिजुकीनाथ व कन्हैया** को **अन्तर्गत धारा–323, 504, 506 व 452 भा0द0सं0** से उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक अनुपालन करें। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–04.02.2023

अपर सिविल जज (जू0डि0) कोर्ट नं0–04,
मिर्जापुर।